भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 696

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

बड़े शहरों में पानी की कमी

696. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नीति आयोग ने कहा है कि हैदराबाद, बेंगलूरू, चेन्नई और नई दिल्ली सहित 21 शहरों में वर्ष 2020 तक भू-जल समाप्त हो जाएगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त संसाधनों के पुनर्भरण के लिए और भू-जल के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में जल संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) नीति आयोग ने अपना जून, 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट नामतः "कंपोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स" में हैदराबाद, बैंगलुरू, चेन्नई तथा नई दिल्ली सहित 21 शहरों का उल्लेख किया है जहां पर वर्ष 2020 तक भूजल समाप्त होने की संभावना है। जिसके परिणामस्वरूप लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। यह रिपोर्ट वार्षिक भूजल पुनःपूर्ति तथा इसके निष्कासन के अनुमानों पर आधारित है। तथापि, इसके अंतर्गत गहरे जलभृतों में भूजल की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा गया है। जैसाकि नीति आयोग द्वारा सूचित किया गया है ऐसे शहरों के नाम को **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जल संसाधनों के कुशल और स्थायी प्रबंधन की पद्धतियों जैसे सतही जल और भूजल संसाधनों का संयोजक उपयोग, सहभागी भूजल पद्धतियां, अन्य आवश्यकताओं के अलावा जल उपयोग दक्षता को बढ़ा , बड़े पैमाने पर भावी जल संबंधी मांग चुनौतियों को पूरा करने के लिए सभी स्टेक होल्डरों को शामिल करके बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। जल राज्य का विषय होने के नाते जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन सहित उपयुक्त मांग और आपूर्ति संबंधी प्रयासों को आरंभ करना प्राथमिक रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए प्रयासों को निम्नलिखित यूआरएल

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf पर दिया गया है।

देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से 'पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम, 1986" की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में, समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के जरिए भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपने स्वयं के अधिनियमों, अधिसूचनाओं या सरकारी आदेशों के माध्यम से भूजल विकास को विनियमित कर रहे हैं। इसके अलावा, इन राज्यों में सीजीडब्ल्यूए ने प्रत्येक राजस्व जिले के जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर तथा सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय निदेशकों को भी प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया है, जिनके पास अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुपालन को लागू कर का अधिकार है।

भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान आरंभ किया गया है जोकि मिशन मोड में चलाया जाने वाला एक ऐसा समयबद्ध अभियान है, जिसमें भारत के 256 जिलों के जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल स्थितियों सहित जल की उपलब्धता में सुधार किया जाता है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधिकारियों का एक दल जल की कमी वाले जिलों का दौरा करने और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैनात किया गया था, ताकि उपयुक्त कार्य किए जा सके।

*****

अनुलग्नक

"बड़े शहरों में पानी की कमी" के संबंध में दिनांक 21.11.2019 को उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 696 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वह शहर जो जल की कमी से जूझेंगे

क्र.सं.	राज्य	शहर
1.	दिल्ली	दिल्ली
2.	तेलंगाना	हैदराबाद
3.	हरियाणा	गुरुग्राम, फरीदाबाद
4.	कर्नाटक	बैंगलौर
5.	मध्य प्रदेश	इंदौर, भोपाल
6.	पंजाब	जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला
7.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर
8.	तमिलनाडु	चेन्नई, वेल्लौर
9.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
10.	उत्तर प्रदेश	आगरा, कानपुर, लखनऊ